

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2015/आषाढ़ 23, 1937

No. 447]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2015/ASADHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 555(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 1 अप्रैल, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जनता से उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115 में,—

(क) उपनियम (14) के खंड (ख) में, उपखंड (II) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) 15 जुलाई, 2015 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में, इस उपनियम के उपबंध वृंदावन, कोसीकला, हिंडोन सिटी, धौलपुर, अहमद नगर, महाबलेश्वर, लोनवाला, पलगढ़, दहानु, तालासराय, बोईसर, पंचगनी, महाद, नागोथाना, इंदापुर, विजाग, कोच्चि, त्रिवेन्द्रम, करावती, नागर, डीग, नदबाई, भिवानी, जींद, महेन्द्रगढ़, हांसी, चरखी-दादरी, नारनौल, किरोली और फतेहपुर सीकरी शहरों को लागू नहीं होंगे।”;

(ख) उपनियम (15) के खंड (क) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि वृंदावन, कोसीकला, हिंडोन सिटी, धौलपुर, अहमद नगर, महाबलेश्वर, लोनवाला, पलगढ़, दहानु, तालासराय, बोईसर, पंचगनी, महाद, नागोथाना, इंदापुर, विजाग, कोच्चि, त्रिवेन्द्रम, करावती, नागर, डीग, नदबाई, भिवानी, जींद, महेन्द्रगढ़, हांसी, चरखी-दादरी, नारनौल, किरोली और फतेहपुर सीकरी शहरों में 15 जुलाई, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में, उक्त शहरों की अधिकारिता के भीतर अंतरराज्यिक अनुज्ञापत्र (परमिट) या राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र पर चल रहे चार पहिया यानों के सिवाय, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम IV) लागू होंगे।”

[फा. सं.आरटी-11011/05/2011-एमवीएल]

रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा. का. नि. 546(अ), तारीख 8/07/2015 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2015.

G.S.R. 555(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 247(E), dated the 1st April, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st April, 2015;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 113,—
- (a) in rule sub-rule (14), in clause G, after sub-clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—
- “(iii) the provisions of this sub-rule in respect of four wheeler vehicles manufactured on and from the 15th July, 2015 shall not apply to the cities of Vrindavan, Kosi Kalan, Hindaun city, Dholpur, Ahmednagar, Mahabaleshwar, Lonwala, Palgarh, Dahanu, Talasari, Boisar, Panchagani, Mahad, Nagothana, Indapur, Vizag, Kochi, Trivandrum, Kavaratti, Nagar, Dig, Nadbai, Bhiwani, Jind, Mahendragarh, Hansi, Charki Dadri, Narnaul, Kiruli and Fatehpur Sikri”;
- (b) in sub-rule (15), in clause (a), after the second proviso, the following proviso shall be inserted namely:—
- Provided also that the Mass Emission Standards (Bharat State IV) shall be applicable in the cities of Vrindavan, Kosi Kalan, Hindaun city, Dholpur, Ahmednagar, Mahabaleshwar, Lonwala, Palgarh, Dahanu, Talasari, Boisar, Panchagani, Mahad, Nagothana, Indapur, Vizag, Kochi, Trivandrum, Kavaratti, Nagar, Dig, Nadbai, Bhiwani, Jind, Mahendragarh, Hansi, Charki Dadri, Narnaul, Kiruli and Fatehpur Sikri in respect of four wheeler vehicles manufactured on or after the 15th July, 2015 except the four wheeler transport vehicle plying on Inter-State Permits or National Permits or All India Tourist Permits, within the jurisdiction of the said cities.”

[No. F. RT-11011/05/2011-MVL]

ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 546(E), dated 08/07/2015.

7

Indiacode